# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः–224 / 2018 दर्ज दिनांक 16.08.2018
जी सी एम एस न0 2018 / 00490 निर्णय दिनांक 02.02.2023

1. बिमला देवी पत्नी स्व. सुरेश उम्र 35 साल जाति मीणा निवासी ग्राम छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान।
2. सुनिल पुत्र सुरेश उम्र 13 वर्ष जाति मीणा
3. अनिल पुत्र सुरेश उम्र 11 वर्ष जाति मीणा
4. महेन्द्र पुत्र मोहर सिंह उम्र 40 वर्ष जाति मीणा

| नाबालिक जरिये कुदरती माता बिमला देवी पत्नी स्व. सुरेश जाति मीणा निवासी ग्राम छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान।

आवेदकगण

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र धन्नाराम उम्र 62 वर्ष
2. भवानी पुत्र मोहर सिंह उम्र 35 वर्ष
3. मनोज पुत्र मोहर सिंह उम्र 33 वर्ष
4. मुकेश पुत्र मोहन सिहं उम्र 30 वर्ष
5. सायरा पुत्र मोहर सिंह उम्र 28 वर्ष
6. चौथमल पुत्र मोहर सिंह उम्र 25 वर्ष

| जाति मीणा निवासीगण ग्राम छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं, राज्य राजस्थान।

7. नायब तहसीलदार एवं उप पंजीयक गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान।
8. राज्य सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान।

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश

**निर्णय**

दिनांक 02.02.2023

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि उनवानी कैलाश चन्द बनाम मातादीन वगै. आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि ग्राम छावसरी पटवार हल्का छावसरी की सरहद में भूमि खसरा न. 238, 810 रकबा क्रमशः 1.09 है0, 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 है0 स्थित है जिसे प्रार्थना पत्र में प्रथम विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। ग्राम छावसरी व पटवार हल्का छावसरी की सरहद में हाल खसरा न. 73, 75 व 76 रकबा क्रमशः 0.95 है0, 0.39 है0 व 0.45 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.79 है0 स्थित है, जिसे प्रार्थना पत्र में द्वितीय वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रथम वादग्रस्त भूमि का खातेदार आवेदक संख्या 1 का दाद ससुर, आवेदक संख्या 2 व 3 का परदादा, आवेदक संख्या 4 व अनावेदक संख्या 2 लगायत 6 का दादा व अनावेदक संख्या 1 का पिता धन्नाराम काश्त करता था। उपरोक्त धन्नाराम का देहान्त 1998 में हो गया। धन्नाराम के साथ आवेदक संख्या 1 का पति, अनावेदक संख्या 2 व 3 का पिता सुरेश, आवेदक संख्या 4 व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 काश्त करते थे तथा उक्त धन्नाराम का 1998 में देहान्त के बाद आवेदक संख्या 2 व 3 का पिता व आवेदक संख्या 4 व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 [illegible] काश्त करने लग गए। द्वितीय वादग्रस्त भूमि मे स्व. धन्नाराम 1/4 हिस्सा काश्त करता था [illegible] बाद उसका पुत्र अनावेदक संख्या 1, पोते आवेदक संख्या 2 व 3 का पिता सुरेश, आवेदक [illegible] आवेदक संख्या 2 लगायत 6 काश्त करते थे। उक्त धन्नाराम की मृत्यु के बाद [illegible] भूमि में 1/4 [illegible] आवेदक संख्या 2 व 3 [illegible] पिता, आवेदक संख्या 4 व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 संयुक्त रूप से काश्त करने लग गये। इस प्रकार यह साबित होता है कि उपरोक्त भूमि आवेदकगण की पैतृक भूमि है। [illegible]र 2017 में अनावेदक संख्या 1 व उसके पुत्रों ने आपसी सहमति करके खसरा न. 810 रकबा 0.29 है0 प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को विक्रय कर दी तथा उस रूपये से द्वितीय वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व उसके बहिन अणची, महेश कुमार, मगनराम, सुरेन्द्र, रोहिताश आदि से क्रय कर ली। जिस बाबत् आवेदगण व अनावेदक संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rana Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:54:01 IST
Reason: SelfAttested

२५६–

1 लगायत 6 के मध्य कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार प्रथम वादग्रस्त भूमि खसरा न. 238 रकबा 1.09 है0 में आवेदक संख्या 1 लगायत 3 का 1/8, आवेदक संख्या 4 का 1/8 हिस्सा, अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है। खसरा न. 810 विक्रय रोज से अनावेदक संख्या 7 व 8 की खातेदारी भूमि है। द्वितीय वादग्रस्त भूमि में आवेदक संख्या 1 लगायत 3 का 1/16, आवेदक संख्या 4 का 1/16, आवेदक संख्या 1 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा है। उक्त हिस्सों के अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं तथा उक्त हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त है, उक्त हिस्से के अनुसार आवेदकगण अपने हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इसलिए यह दावा खातेदारी अधिकार पेश किया जा रहा है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 01.08.2018 को मौके पर कुछ लोगों को लाए तथा वादग्रस्त भूमि को दिखाने लगे। आवेदकगण द्वारा विरोध करने पर अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 ने आवेदकगण को धमकी दी कि वे जल्द ही आवेदकगण को लठ के जोर से बेदखल करेंगे तथा रिकॉर्ड की आड दीगर व्यक्तियों को बेचेंगे व अनावेदक संख्या 1 के नाम से दर्ज विवादग्रस्त भूमियों को रहन रखेंगे। अनावेदकगण ऐसा करने में सफल होता है तो आवेदकगण को सख्त हक तल्फी होगी। इसलिए अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम छावसरी की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा न. 238 रकबा 1.09 है0 एवं वर्तमान खसरा न. 73, 75, 76 रकबा क्रमशः 0.95 है0, 0.39 है0, 0.45 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.79 है0 में आवेदकगण के कब्जे काश्त व रिकॉर्ड की आड में न रहन करे, न दीगर व्यक्तियों को बेचान करे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे, न ही अपने रिश्तेदार आदि से करवाये। तादौराने वाद रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 बावजूद तामील हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।अप्रार्थी संख्या 1 का जबाब का अवसर बंद किया गया।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि स्व. धन्नाराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमियों में विरासतन नामान्तकरण के जरिये अनावेदक संख्या 1 के खातेदारी दर्ज हो गई लेकिन स्व. धन्नाराम की खातेदारी भूमि पर उसके पुत्र मोहर सिंह व पोते आवेदक संख्या 4, अनावेदक संख्या 2 लगायत 6 व आवेदक संख्या 2 व 3 के पिता संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। स्व. सुरेश की मृत्यु अक्टूबर 2017 में हो गई, उसके बाद उसके हिस्से को आवेदक संख्या 1 लगायत 3 काश्त कर रहे हैं। इस प्रकार उपरोक्त भूमि आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है। सितम्बर 2017 में अनावेदक संख्या 1 व उसके पुत्रों ने आपसी सहमति करके खसरा न. 810 रकबा 0.29 है0 प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को विक्रय कर दी तथा उस रूपये से द्वितीय वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व उसके बहिन अणची, महेश कुमार, मगनराम, सुरेन्द्र, रोहिताश आदि से क्रय कर ली। जिस बाबत् आवेदगण व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के मध्य कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार प्रथम वादग्रस्त भूमि खसरा न. 238 रकबा 1.09 है0 में आवेदक संख्या 1 लगायत 3 का 1/8, आवेदक संख्या 4 का 1/8 हिस्सा, अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है। खसरा न. 810 विक्रय रोज से अनावेदक संख्या 7 व 8 की खातेदारी भूमि है। द्वितीय वादग्रस्त भूमि में आवेदक संख्या 1 लगायत 3 का 1/16, आवेदक संख्या 4 का 1/16, आवेदक संख्या 1 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा है। उक्त हिस्सों के अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं तथा उक्त हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त है। उक्त हिस्से के अनुसार आवेदकगण अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है। इसलिए मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु भी उक्त अनावेदकगण को पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है। बहस मे अप्रार्थी अधिवकता ने कथन किया कि आवेदिका ने केवल अनावेदकगण को हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी क प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकूक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को ... अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 18:54:01 IST
Reason: SelfAttested

## आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम छावसरी की सरहद में भूमि खसरा न. 238 रकबा 1.09 है0, खसरा न0 73 रकबा 0.95 है0, खसरा न0 75 रकबा 0.39 है0, खसरा न0 76 रकबा 0.45 है0 में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा काश्त करने में व्यवधान नही डाले।

(रामसिंह राजावत) 2/2/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 02.02.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत) 2/2/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:54:01 IST
Reason: SelfAttested